न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठसीन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र गुर्जर

वाद संख्या :– 24/2014

1– बालूलाल पिता भंवरलाल जाति शर्मा निवासी रावडदा तह0 बेगूँ
2– सत्यनारायण पिता श्री भंवरलाल शर्मा निवासी रावडदा तह0 बेगूँ
3– श्रीमति सुन्दरबाई बेवा भंवरलाल जी शर्मा निवासी रावडदा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1– मोहनलाल पिता भुवानीलाल शर्मा निवासी रावडदा तह0 बेगू
2– चन्दा पिता भंवरलाल शर्मा पति शिवलाल जी ब्राम्हण निवासी रामपुरिया हा0मु0 रावडदा तह0 बेगूँ
3– राधा पिता भंवरलाल जी पति नानालाल जी ब्राम्हण निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
4– मधुसूदन पिता रूपशंकर ब्राम्हण निवासी रावडदा तह0 बेगूँ
5– श्री प्रबंधक महोदय बडौदा रार्जस्थान ग्रामीण बैंक शाखा ढुकराई तह0 बेगूँ
6– श्री भूमिधारी जी तहसीलार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
7– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री मोहम्मद रफीक खान
अधिवक्ता वादीगण
श्री एस.के बिल्लू
अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1से4

निर्णय दिनांक ::– 22.12.2023

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वादपत्र अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा वृशवृक्ष निम्न प्रकार है :– (वादीगण का सजरा निम्न प्रकार से है)

भंवरलाल पिता किशनलाल जी फोत
|

सुन्दरबाई बेवा — मांगीबाई पुत्रीफोत — बालूलाल पुत्र — राधाबाई पुत्री — सत्यनारायणपुत्र — चंदाबाईपुत्री

(प्रतिवादीगण का सजरा निम्न प्रकार है)

भुवानीलाल फोत
|
मोहनलाल पुत्र प्रति.सं.1
|

महावीर — गोविन्द — ओमप्रकाश

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती आरीयात मौजा रावडदा प0ह0 रावडदा की खाता संख्या154 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सामलाती खाता होकर अपनी इच्छा अनुसार ही मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है जिसकी [illegible] प्रकार से है :–

खाता	आरा[illegible]	रकबा हैक्टर मे
154	45[illegible]	1.7810
	549	5.479[illegible]
	463	1.100[illegible]
	646	0.526[illegible]
	465	0.1620
	466	1.5060
	583	0.6630
	584	0.0810
	585	0.4290
	586	0.2750
	587	1.2540

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:34 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से ... के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड स्थित है जिसमें वादीगण का एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 तक .../2 हक हिस्सा निहित है। और वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर आपने अपने हक हिस्से पर ...बिजानुसार काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। ओर लगानआदि जमा करा रहे है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 2 में अंकित आराजीया तमे से आराजी संख्या 459 रकबा 5.4790 ...क्टर लगानी 6.75 पैसा अपने हिस्से की आराजी दिनांक 4.2.1990 को प्रतिवादी संख्या एक के पिता ...वाना जी ब्राम्हण ने 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि आराजी कीमतन 25400/—रूपये में हम वादीगण के नाम ...चान कर दी तथा बाद विक्रय के हमवादी मौके पर उक्त आराजी क्रयशुदा पर काबिज होकर निरंतर ...श्त करते चले आ रहे है और हमारा कब्जा स्वामित्व है। वहीं विक्रता भुवानीलाल जी ब्राम्हण द्वारा एक बेचाननामा हम वादीगण बालूलाल सत्यनारायण के पक्ष में निष्पादित कर दिया है।

यह कि आज से करीबन 10 वर्ष पूर्व प्रतिवादीसंख्या एक के पिता भुवानी जी (विक्रेता) का देहान्त हो चुका है तथा हम वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 मोहनलाल को कई मर्तबा मोखिक रूप से हमारे पक्ष में रजिस्ट्री करवा देने की कहा किन्तु प्रतिवादी सख्या एक ने हमेशा टालमटूल कर बहानेबाजी करता आ रहा है। तथा दिनांक 10.5.2011 को प्रतिवादी संख्या एक को कहा कि बेगूँ तहसील में चल कर रजिस्ट्री करवा दो तो प्रतिवादी संख्या 1 हम वादीगण से लडाई झगडा करने पर उतारू हुआ और कहा कि तुम्हारे में जोर हो तो राज में कार्यवाही करों मैं रजिस्ट्री नहीं कराउंगा जमीन तो मेरे पिता जी भुवानीलाल जी ने तुमको बेच दी है अब रजिस्ट्री भी उनसे ही करवाना ।

यह कि आराजी संख्या 459 को जिस दिन बेचान दिनांक 4.2.90 को की गई तब से ही अर्सा करीब 20 साल से हम वादीगण का कब्जा निरंतर चला आ रहा है और हम उपयोग उपभोग करते आ रहे ... इसलिये कब्जे के आधार पर घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के वैद्यअधिकारी होने से आप न्यायालय श्रीमान में यहवाद प्रस्तुत है।

यह कि वादपत्र में अंकित आराजीयात शामलाती होने से घास, फसल , लगान इतयादि को लेकर आये दिन मौके पर लडाई झगडा होता रहता है तथा आवश्यक राजकीय कार्यो में भी एक दुसरे पर निर्भर रहना पडने से तथा मौके पर भी प्रत्येक आराजी मे से प्रत्येक हिस्सेदार को अच्छी से अच्छी एवं बरी ... बुरी आराजी मेसे हिस्सा हो इसलिये वादपत्र की कलम संख्या 2 मे अंकित आराजी में प्रत्येक खातेदार ... हकदार हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर खातेदार घोषित कराये जाने हेतु न्यायालय श्रीमान केसमक्ष यह वादपत्र प्रस्तुत है। एवं खाता पृथक पृथक कराये जाने हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत है।

यह कि खातेदार मांगी पुत्री भंवरलाल एवं रूपशंकर पिता किशनलाल फोत हो जाने से इनका नाम खाते से डिलिट फरमाया जावें। प्रतिवादी संया 5,6,7 आवश्यक पक्षकार होन से पक्षकार बनाये गये है। यह कि वाद कारण दिनांक 10.05.2011 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या एक को आपसी सहमति से तहसील में चल कर रजिस्ट्री कराने व खाता अलग कराने एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मना करने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। साथ ही वर्णित आराजयीात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से श्रवण योग्य न्यायालय आप है।

अतः वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोश की प्रार्थना करते है कि :—

(क) कि वाद वर्णित आराजीयात मौजा रावउदा प0ह0 रावडदा की आराजी संख्या 459 रकबा 5.4790 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्वर्गीय भुवानीलाल जी द्वारा वादीसंख्या 1 व 2 को बेचान कर देने के बाद बेचान 20 साल से अधिक के कब्जे काश्त होने से वादीगण के हक में खातेदारी हक की घोषणा फरमायी जावें।

(ख) कि वादपत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात का मौके पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी काबिजानुसार भूमि का एवं हिस्सेनुसार विभाजन फरमा खाता पृथक पृथक ... खाते में दर्ज अंकित कराये जाने की डिक्री ... जावें।

(ग) कि मौजा रावडदा प0ह0 रावडदा की ... वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात ... सहखातेदार मृतक मांगीबाई पुत्री भंवरलाल ... बाद फोत हो जाने से एवं रूपशंकर फोत हो जाने ... इनका नाम खाते से डिलिट फरमाये जाने की ... करायी जावें।

(घ) कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 ... संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादीगण ... प्रतिवादी संख्या 2,3,4 के 1/2 हिस्से के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता भुवानीलाल जी द्वारा वादी... को आज से करीबन 20 साल पूर्व बेचान कर कब्जा सिपुर्द कर दिये जाने से एवं वर्तमान में काबिज ह... उपयोग उपभोग करते चले आ रहे होने से बेचान की गई आराजी को भी वादीगण के हक में दर्ज क... जाने की आज्ञप्ति फरमायी जावें।

(ड) कि अन्य कोई अनुतोश जो सुलभ वादीगण को विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराये जाने की आज्ञप्ति प्रदान करायी जावें।

(च) कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता मेहनताना भी वादीगण को प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावें।
...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:33:34 IST
Reason: SelfAttested

किया गया। पत्रावली मे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि वाद पत्र में वर्णित सजरा अधूरा है सही सजरा निम्न प्रकार से है:–

देवचन्द– फोत

किसनलाल फोत — भवानीलाल फोत

भवानीलाल फोत → मोहनलाल → महावीर, ओमप्रकाश, गोविन्द

किसनलाल फोत → भंवरलाल फोत, रूपशंकर फोत

भंवरलाल फोत → सुंदर बेवा भंवरलाल → मांगीबाई, बालू, राधा, सत्य नाराण, चंदाबाई

रूपशंकर फोत → सरस्वती बेवा रूपशंकर → मधुसूदन, शशिकला

वादीगण ने सरस्वती बेवा रूपशंकर , शशिकला पत्नी रामशंकर निवासी लाम्बाखोह जो रूपशंकर की पुत्री है , मांगीबाई पुत्री भुवरलाल के पति जगदीश निवासी डाबी को जो आवश्यक पक्षकार है तथा उनका हिस्सा भंवरलाल की जायदाद में मौरूसी जायदाद होने से है को पक्षकार नहीं बनाया हे सा वाद इस अभाव में चलने योग्य नहीं है। यह कि विवादित भूमि मौरूसी जायदाद है और आवश्यक पक्षाकर जो कलम संख 1 में दर्शाये है बिना उन्हें पक्षकार बनाये वाद चलने योग्य नहीं है। खाता संख्या 154 में 549 के नम्बर की कोई जमीन नहीं है।

यह कि कलम संख्या 3 सही नहीं है भूमि मोरूसी होकर पीढी दर पीढी शामलाती खाते कब्जे चली आ रही है। वह सही है कि मुझ प्रतिवादी मोहनलाल का विवादित भूमि में आधा हिस्सा होकर कब्जे काश्त में है। वादीगण ने आवश्यक पक्षकार का हक हिस्सा होने पर भी उनको पक्षकार न बनाकर सत्य को छुपाया है। कलम नं0 4 अस्वीकार है , कोई भूमि विक्रय नहीं की है। वादीगण ने जो दस्तावेज इस संबंध में प्रस्तुत किया वह न तो प्रापर स्टाम्प पर है ओर नही रजिस्टर्ड है। इस दस्तावेज के आधार पर वाद चलने लायक नहीं है। चूंकि भूमि मौरूसी है तथा जिसमें न केवल मोहनलाल (पुत्र) महावीर, गोविन्द एवं ओमप्रकाश पोत्र का हिस्सा भी है तथा भवानीलाल अकेला विक्रय करने का अधिकरी नहीं था। बेचान को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता हैं। जहॉ तक कब्जे का सवाल है संपूर्ण मौरूसी जायदाद में को पार्सनर का हक हिस्सा व कब्जा कानूनन मान्य है।

यह कि भुवानीलाल 4.02.1990 के बाददास से अधिक समय तक जीवित रहा किन्तु विक्रय की रजिस्ट्री नहीं कराई गई। इस हेतु अवधि तीन वर्ष ाावानीलाल की जिन्दगी में ही समाप्त हो गई एवं मियाद बाहर हुए दस्तावेज से कोई लाभ वादीगण को नहीं मिलता है। मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को प्रथम तो कोई बात इस संबंध में कही नहीं दायेम मियाद बाहर दस्तावेज की रजिस्ट्री कानूनन संभव नहीं थी। जब बिकाव ही नहीं हुआ तो रजिस्ट्री कराने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है।

यह कि वादीण्गा ने कलम सं0 2 में खाता संख्या 154 में 459 नंबर ही अंकित होना नही दर्शाया है तो अब इस कलम में आराजी नम्बर 459 कहा से टपक पडे है यह वादीगण ही जानते हैं। शेष बात स्वीकार नहीं ळे कब्जे के संबंध में पूर्व में निवेदन किया जा चुका है कि कोपार्सनर प्रोपर्टी जो कि मौरूसी है मे प्रत्येक कोपार्सनर का कब्जा कानूनन माना जाता है। वादीगण की यह बात कानून सम्मत नहीं होन से चलने योग्य नहीं है।

यह कि कलम नम्बर 7 आंशिक स्वीकार है। कलम नम्बर 2 में वर्णित आराजीयात जिसमें आराजी नम्बर 459 भी है को दो भागों में विभाजित किया जाकर आधा हिस्सा मेरे खाते अलग से दर्ज किया जावे व लगान का भी बंटवारा किया जावें। प्रथम तो आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाने से वाद खारिज योगय है। दोयम चूकि वादी ने इस कलम में मेरा आधा हिस्सा स्वीकार किया है सो मेरे खाते में आधा हिस्सा होना मानकर मेरा खाता लगान अलग किये जाने की डिक्री प्रदान की जावें।

यह कि कलम में मांगीबाई का पति जो जीवित है तथा मांगीबाई के हक हिस्से का मालिक है तथा रूपशंकर की बेवा सरस्वती व पुत्री शशिकला जीवित है उनका नाम फोत होने वाले के स्थान पर क्रम अनुसार अंकित होना चाहिए। वाद कारण 10.05.2011 का होना स्वीकार नहीं है। कलम नम्बर 11,12,13 कानूनी है , कलम नं. 14 के जवाब की आवयश्यकता नहीं है तथा कलम जहा तक पक्षकार बनाने की है कानूनी है शेश स्वीकार नहीं है सा दावा मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:33:34 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] लिखित तनकी पत्र पृथक से कायम कर पत्रावली में शामिल पत्रावली किया गया जो निम्न प्रकार से [illegible]

1– आया कि वादीगण वादवर्णित आराजी मौजा रावडदा की आराजी नम्बर 548, 549, 463, 464, 465, 466, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590 कीता–14 कुल रकबा 13.9690 हैक्टर आराजी में वादीगण व प्रतिवादी सं0 2,3,4 का 1/2 हिस्सा घोषित कराने व प्रतिवादी सं0 1 के पिता भुवानीलाल जी द्वारा वादीगण को आज से करीबन 20 साल पूर्व बेचान कर कब्जा सिपुर्द कर दिये जाने व वर्तमान में वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आने से हक दर्ज कराने के वादीगण अधिकारी है? साथ ही आराजी नम्बर 459 रकबा 5.4790 हैक्टर भूमि वादी सं0 1 व 2 को बेचान कर देने व कब्जा 20 साल से अधिक होने से घोषणा कराने व आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बरी से बुरी के अनुसार विभाजन कराने के वादीगण अधिकारी है? वादीगण

2– आया कि वादीगण द्वारा वाद पत्र में सरस्वती बेवा रूपशंकर शशिकला पत्नि रामशंकर निवासी लम्बाखोह जो रूपशंकर की पुत्री है , मांगीबाई पुत्री भंवरलाल पतिन जगदीश निवासी डाबी को पक्षकार नहीं बनाया है वाद चलने योग्य नहीं है। आया खाता संख्या 154 में आराजी नम्बर 549 की कोई जमीन नहीं है? वादीगण का वादपत्र चलने योग्य नहीं है? प्रतिवादीगण

3– आया कि आराजी नम्बर 459 रकबा 5.4790 हैक्टर लगानी 6.75 रूपये को दिनांक 4.02.90 को प्रतिवादी सं0 1 एक के पिता ने अपने हक हिस्सा को वादी को विक्रय कर दिया वह दस्तावेज न तो प्रोपर स्आम्प पर है और न ही रजिस्टर्ड है, सो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, इस आधार पर वादी का वाद चलने योग्य नहीं है? प्रतिवादी–1

4– आया कि मौरूसी भूमि में मोहनलाल, महावीर ,गोविन्द एवं ओमप्रकाश का हक हिस्सा होने से भवानीलाल को विक्रय करने का अधिकार नहीं था? प्रतिवादी–1

5– आया कि बिकाव की रजिस्ट्री अन्दर अवधि नहीं होने से विक्रय शुन्य है? प्रतिवादी–1

6– दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र पृथक तेयार किया जाकर शामिल पत्रावली किये जाने के उपरान्त पत्रावली मे वादीगण की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादी सत्यनारायण पिता भंवरलाल ,गवाह बालूलाल पिता रूपा जी दरोगा व गवाह मधुसूदन शर्मा पिता रूपशंकर एवं रतनदास पिता नंदराम दास बैरागी के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिनमे से वादी सत्यनारायण के साक्ष्य शपथ पत्र पर जिरह वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई जिसमें बिकावनामा दिनांक 4.02.90 का रूपये 3/–केस्टाम्प पर लिखा हुआ होने व बिकाव नामा 25400/– का होने व बिकावनामा न तो पूर्ण स्टाम्प होने व बिकावनामा को रजिस्टर्ड नहीं होने का कथन अपनी जिरह में किया है। शेष गवाह से जिरह नहीं होने व वादी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कर अपने बयान कलमबद्ध कराए गए। पत्रावली में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने के कारण प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रतिवादी हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। पत्रावली में वादीगण की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस को सुना गया जिन्होने अपनी बहस वादपत्र के अनुसार ही करते हुए वाद वर्णित भूमि में वादीगण द्वारा खरीद की गई भूमि की घोषणा कराने व संयुक्त वाद वर्णित आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादी सं0 2,3,4 का 1/2 हिस्सा घोषित करा आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी अनुसार बंटवाडा कराये जाने का आदेश दिये जाने व दावा डिकी किया जाने का निवेदन किया गया।

बहस अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया, अवलोकन के पश्चात उन पर मनन किया गया एवं पत्रावली में कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया गया :–

1– <u>तनकी नम्बर 1 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का वादीगण द्वारा अपनी ओर से दावा पत्रावली में एक छायाप्रति ती[illegible] आराजी संख्या 459 रकबा 6बीघा 7 बिस्वा भूमि को 25400रु/–में विक्रय किये जाने का अंकन [illegible] स्टाम्प प्रस्तुत किया है उक्त विक्रय भुवानीलाल पिता देवचंद्र ब्रामहण निवासी [illegible] है जिस पर गवाह कालुसुथार रूपशंकर शर्मा रतनदास व मधुसूदन के हस्ताक्षर है, उक्त विक्रय [illegible] प्रोपर नहीं होकर छायाप्रति है मूल नहीं होने से इस दस्तावेज को प्रदर्श नहीं किया गया है। इस प्रकार यह विक्रय पत्र मूल दस्तावेज नहीं होने एवं प्रोपर स्टाम्प पर लिखा हुआ नहीं होने तथा विक्रय अप[illegible]कृत होने एवं प्रदर्श नहीं होने के कारण निर्णय में पढा जाने योग्य दस्तावेज नही है। प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी मौजा रावडदा की सं0 2064 से 67 की प्रस्तत की गई है जिसमें अंकित आराजी संख्या 548, 549, 463, 464, 465, 466, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590 कीता–14 कुल रकबा 13.9690 हैक्टर भूमि श्री बालू सत्यनारायण चन्दा राधा मांगी पिता भंवरलाल सुन्दरबाढ़ बेवा भंवरलाल रूपशंकर पिता किशनलाल हि.ब.1/2 मोहनलाल पिता भवानीलाल 1/2 ब्राम्हण सा.देह खातेदार रहन हिंस्सा सत्यनारायण व सुन्दरबाई का चित प्राथसह.भूमि. वि.बैंक शाखा बेगूंके नाम होने का अंकन किया हुआ है। इस प्रकार वादीगण का वर्णित आराजी में 1/2 हिस्सा व मोहनलाल पिता भवानीलाल का हिस्सा 1/2 दर्ज अंकित है वादीगण द्वारा इस आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:33:34 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार होने से सिद्ध नहीं होता है, जिससे भी वर्णित आराजी में से प्रतिवादी सं. 1 का नाम सभी आराजी में हटाया जाना कानून विरूद्ध है क्यो कि वर्णित आराजीयात अविभाजित संयुक्त खातेदार की आराजी है, जिसमें 1/2 हक वादीगण व 1/2 हक प्रतिवादी सं. 1 का अंकित है। दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर व मूल दस्तावेज विक्रय नामा व अपंजीकृत विक्रय के आधार पर वादीगण अपने वादपत्र को सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहे है, जिससे यह तनकी नम्बर 1 विरूद्ध वादीगण बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

2– तनकी नम्बर 2 का निर्णयः:–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का, प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में दर्शाये गये सजरे को गलत बताते हुए अपने जवाब दावा में नया परिवार का सजरा सृजित किया है, जिसमें सरस्वती बेवा रूपशंकर शशिकला पत्नि रामशंकर निवासी लाम्बाखोह जो रूपशंकर की पुत्री है एवं मांगीबाई पुत्री भंवरलाल पत्नि जगदीश निवासी डाबी का उल्लेख किया है इन्हें पक्षकार अपने वादपत्र में नहीं बनाया है, इस सम्बन्ध में वादीगण द्वारा कोई तथ्य उनकी ओर से स्पष्ट नहीं किये गये है, प्रतिवादीगण के विरूद्ध भी एक तरफा कार्यवाही होने व अपने जवाब की पुष्टि हेतु साक्ष्य प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तत नहीं किया जाने से यह तथ्य अपने आप में सिद्ध नहीं होता है किन्तु दस्तावेज के अनुसार रूपशंकर वर्णित आराजी के सहखातेदार है जिसमें उनके पुत्र पुत्रीयों का भी नोशनल शेयर होता है क्यो कि वर्णित आराजीयात मौरूसी जायदाद है इस प्रकार दावा सभी सहखातेदार का पक्षकार बनाते हुए ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए था यदि पक्षकार नहीं बनाया गया है तो क्यो नही बनाया गया है इस बात को वादीगण को अपने वादपत्र में स्पष्ट करनी चाहिए थीं। तनकी नम्बर 1 भी वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार अपने पक्ष में सिद्ध करा पाने में असफल रहे है। यह तनकी नम्बर 2 बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

3– तनकी नम्बर 3 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी सं0 1 पर है। पत्रावली में तनकी नम्बर 1 के निर्णय अनुसार ही यह तनकी अपने आप ही सिद्ध हो जाती है कि वर्णित आराजी संख्या 459 रकबा 5. 7490 हैक्टर लगानी 6.75रूपये को दिनांक 4.02.90 को प्रतिवादी सं0 1 के पिता ने अपने हक हिस्सा को वादी को विक्रय कर दिया वह दसतवेज न तो प्रोपर स्टाम्प पर है और नही रजिस्टर्ड है सो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है , तनकी नम्बर 1 के निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है इस अपूर्ण छायाप्रति विक्रय स्टाम्प को इस दावा पत्रावली की साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया गया है ना ही दस्तावेज को प्रदर्श ही किया गया जिससे यह विक्रय पत्र निर्णय के समय पढे जाने योग्य नहीं होने से वादीगण का वादपत्र सिद्ध नहीं हुआ है। इस प्रकार यह तनकी नम्बर 3 बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती हैं।

4– तनकी नम्बर 4 व 5 का निर्णयः–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार भी प्रतिवादी का है, दस्तावेज से यह तथ्य स्पष्ट है कि वर्णित आराजीयात मौरूसी जायदाद है जिसमें मोहनलाल महावीर गोविन्द एवं ओमप्रकाश का हक हिस्सा है जिसे भवानीलाल को विक्रय करने का अधिकार नहीं था, अवैधानिक विक्रय जो कि वर्ष 1990 में किया गया है उस वक्त फ्रेगमेन्ट लागू नहीं था कोई भी सह खातेदार अपने निहित हिस्सा विक्रय कर सकता था किन्तु यह सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति होने व अविभाजित होने के कारण बिना सभी सहखतोदार की सहमति के इस प्रकार का अवैधानिक विक्रय किया जाना न्यायसंगत नहीं होता है। वैस भी विक्रय का स्टाम्प पूर्ण नहीं है व मूल दस्तावेज विक्रय पत्र जो कि पंजीकृत नहीं है को इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है,इस प्रकार यह दस्तावेज अन्दर अवधि रजिस्टर्ड नहीं माना जावेगा जिससे विक्रय शुन्य माना गया है। इस प्रकार यह तनकी नम्बर 4 व 5 बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर वादीगण अपने वादपत्र को सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहे है, पत्रावली में कायम तनकी वादीगण को सिद्धकराने की तनकी भी वादीगण सिद्ध नहीं करा पाये है। इस प्रकार वादीगण के पक्ष में वाद सिद्ध नहीं होने के कारण वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सिद्ध नहीं होने के कारण वादीगण का वाद द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2023 को लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:33:34 IST
Reason: SelfAttested

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र गुर्जर

दावा संख्या :– 24/2014

1– बालूलाल पिता भंवरलाल जाति शर्मा निवासी रावडदा तह0 बेगूँ
2– सत्यनारायण पिता श्री भंवरलाल शर्मा निवासी रावडदा तह0 बेगूँ
3– श्रीमति सुन्दरबाई बेवा भंवरलाल जी शर्मा निवासी रावडदा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1– मोहनलाल पिता भुवानीलाल शर्मा निवासी रावडदा तह0 बेगू
2– चन्दा पिता भंवरलाल शर्मा पति शिवलाल जी ब्राम्हण निवासी रामपुरिया हा0मु0 रावडदा तह0 बेगूँ
3– राधा पिता भंवरलाल जी पति नानालाल जी ब्राम्हण निवासी धनोरा तह0 बेगूँ
4– मधुसूदन पिता रूपशंकर ब्राम्हण निवासी रावडदा तह0 बेगूँ
5– श्री प्रबंधक महोदय बडौदा रार्जस्थान ग्रामीण बैंक शाखा ठुकराई तह0 बेगूँ
6– श्री भूमिधारी जी तहसीलार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
7– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद डिक्री अ0धा0 88–53 राज0 काश्त0 अधि0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद रफीक खान पठान की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री ....की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88–53 आर.टी.एक्ट में आज दि 22.12.2023 को पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द्र गुर्जर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–53 राज0 काश्त0 अधि0 का अस्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सिद्ध नहीं होने के कारण वाद पत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 22.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:34 IST
Reason: SelfAttested